

प्रेस- नोट

थाना- कोतवाली

दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

**पूर्व की घटना / इतिहास** – वादिनी मुकदमा थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी सलीम पुत्र इम्तेयाज अहमद ग्राम- बीनापार , थाना सरायमीर जनपद- आजमगढ़ द्वारा दिनांक -12.-01-2024 ई0 को समय लगभग दो बजे दिन में कैफे पर आया उस समय वादिनी मुकदमा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 112/24 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण**– दिनांक 19.3.24 को व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 सलीम पुत्र इस्तेयाक निवासी बीनापारा थाना सरायमीर आजमगढ़ को समय 11.05 बजे ब्रह्मस्थान टीवीएस एजेंसी के सामने थाना कोतवाली आजमगढ़ से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 112/24 धारा 376/506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-** मो0 सलीम पुत्र इस्तेयाक निवासी बीनापारा थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम** – व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर, कां0 विकास सरोज थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- कोतवाली

दुष्कर्म करने तथा अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने वाले 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना / इतिहास** –

वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी मुकदमा इन्ग्रीवा कम्पनी में काम करती हैं वहीं पर चमन सिंह पुत्र सवरजीत सिंह R/o रामपुर पोस्ट जहानागंज थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा दिनांक 4.2.24 को चमन सिंह ने गणेश जी मन्दिर के पीछे बुलाया जहाँ पर चमन सिंह किराये पर कमरा लेकर रहता था उसके कमरे में कृष्णा चौहान पुत्र रामजीत चौहान ग्राम कोल्ड स्टोरेज जालालाबाद थाना दुल्लाहपुर जिला गाजीपुर भी कमरे में मौजूद थे पीछे से ताला बन्द कर वादिनी मुकदमा के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाते समय कृष्णा चौहान ने ब्लैकमेल करने के लिए मेरा अश्लील वीडियो बनाया तथा धमकी भी दी गयी, इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/24 धारा 376डी,323 ipc, 67a it act, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण**–

दिनांक- 19.03.24 को प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय, कां0 दमन पाण्डेय, कां0 सत्येन्द्र पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. चमन सिंह पुत्र सवरजीत सिंह निवासी रामपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष, 2. किशन चौहान उर्फ कृष्ण चौहान पुत्र रामजीत चौहान निवासी कोल्ड स्टो जालालाबाद थाना दुल्लापुर जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष को समय 11.10 बजे बवाली मोड़ चौराहा थाना कोतवाली आजमगढ़ से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0 154/24 धारा 376डी,323 ipc, 67a it act, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

- चमन सिंह पुत्र सवरजीत सिंह निवासी रामपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष,
- किशन चौहान उर्फ कृष्ण चौहान पुत्र रामजीत चौहान निवासी कोल्ड स्टो जालालाबाद थाना दुल्लापुर गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम** – प्र0नि0 शशिमौली पाण्डेय, कां0 दमन पाण्डेय, कां0 सत्येन्द्र पाठक, कां0 नरेन्द्र तिवारी, म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़

## थाना-देवगांव

### देहव्यापार के अपराध में 05 युवक व 05 युवतियां गिरफ्तार

#### **गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 18.03.2024 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह को सूचना मिली कि लालगंज में स्थित सदाबहार होटल/रेस्टोरेन्ट में कुछ दिनों से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी लालगंज हितेन्द्र कृष्ण व महिला थानाध्यक्ष उ0नि0 प्रज्ञा सिंह मय हमराह उपस्थित आये। पुलिस टीम के साथ युक्ति युक्त ढंग से सदाबहार होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट पर पहुँच कर दबिश दिये। पुलिस टीम को अन्दर घूसते ही मौका पाकर होटल मालिक व मैनेजर मौके से फरार हो गये। होटल के कमरों की तलाशी से पाँच कमरों अन्दर से बन्द पाये गये जिनकी तलाशी से कुल 05 युवक व 05 युवती आपत्तिजनक अवस्था में मिले जिनके नाम क्रमशः 1. रिषभ तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी निवासी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़ 2. विकास भारती पुत्र राजकुमार भारती निवासी उदियावां थाना बरदह आजमगढ़ 3. किशन यादव पुत्र हौसिला यादव निवासी मसीरपुर लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ 4. सुनील राजभर पुत्र श्रीराम राजभर निवासी अकोल्ही कोटा थाना देवगांव आजमगढ़ 5. सुरेन्द्र यादव पुत्र उमेश यादव निवासी नौरंगाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ 6. पहली युवती अमृतापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 7. दूसरी युवती थाना कोतवाली जनपद जौनपुर 8. तीसरी युवती थाना देवगांव आजमगढ़ 9. चौथी युवती थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ 10. पांचवी युवती थाना गंभीरपुर आजमगढ़ बताए जिनको समय 14.35 बजे पुलिस हिरासत लिया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-**

1. रिषभ तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी निवासी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़
2. विकास भारती पुत्र राजकुमार भारती निवासी उदियावां थाना बरदह आजमगढ़
3. किशन यादव पुत्र हौसिला यादव निवासी मसीरपुर लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
4. सुनील राजभर पुत्र श्रीराम राजभर निवासी अकोल्ही कोटा थाना देवगांव आजमगढ़
5. सुरेन्द्र यादव पुत्र उमेश यादव निवासी नौरंगाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़
6. पहली युवती अमृतापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. दूसरी युवती थाना कोतवाली जनपद जौनपुर
8. तीसरी युवती थाना देवगांव आजमगढ़
9. चौथी युवती थाना मेहनाजपुर आजमगढ़
10. पांचवी युवती थाना गंभीरपुर आजमगढ़

#### **फरार अभियुक्त**

1. रघुवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी पकड़ी थाना देवगांव आजमगढ़
2. होटल के मैनेजर नाम पता अज्ञात

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/4/5/7 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़

**बरामदगी का विवरण-** 11 मोबाइल, रूपये 5840 नगद, 05 पैकेट कण्डोम

**आपराधिक इतिहास-** मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/4/5/7 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़

#### **गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-**

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना देवगांव आजमगढ़
2. हे0का0 ओम प्रकाश सिंह थाना देवगांव आजमगढ़
3. का0 रिषभ शुक्ला थाना देवगांव आजमगढ़
4. का0 शिवम तिवारी थाना देवगांव आजमगढ़
5. म0आ0 सोनम यादव थाना देवगांव आजमगढ़
6. हितेन्द्र कृष्ण (क्षेत्राधिकारी लालगंज) आजमगढ़
7. उ0नि0 प्रज्ञा सिंह थानाध्यक्ष महिला थाना आजमगढ़
8. म0का0 अल्का मिश्रा महिला थाना आजमगढ़
9. म0का0 रानू यादव महिला थाना आजमगढ़
10. हो0गा0 बिन्दू यादव महिला थाना आजमगढ़

**थाना- जीयनपुर**  
**धोखाधड़ी में एक अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/इतिहास-** दिनांक- 28.02.2024 को थाना जीयनपुर पर वादी मुकदमा गंगेश उपाध्याय पुत्र स्व त्रिलोकीनाथ उपाध्याय ग्राम देवई रसूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1.सुनील कुमार मिश्र पता वसीकानवीस सगडी 2.प्रभावती पत्नी प्रेमचन्द नि0जटाव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.अरूण पुत्र श्यामबली नि0तेंदुआ थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 4.आशुतोष पुत्र अरविन्द नि0कठैचा थाना जीयनपुर आजमगढ़ 5.नितू गुप्ता पत्नी लालू गुप्ता नि0सहनूपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 6.रतनलाल पुत्र विश्वनाथ नि0जटाव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 7.किशुन गुप्ता पुत्र रतनलाल नि0जटावं थाना जयनपुर आजमगढ़ 8.मीरा देवी पत्नी बृजभान नि0मालटारी थाना जीयनपुर आजमगढ़ 9.शशिकान्त पुत्र देवराज नि0मालटारी थाना जीयनपुर आजमगढ़ 10.ओमप्राकश पुत्र बलिकरन राम नि0मालटारी थाना जीयनपुर आजमगढ़ 11. सरिता पत्नी कालिका प्रसाद विश्वकर्मा नि0प्रभात जनसेवा मण्डल कटिंग 12. दुर्गा नगर मुम्बई महाराष्ट्र 13. आशुतोष पुत्र अनिल चतुर्वेदी नि0करनपुर सैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 14. सुबाष चन्द्र पुत्र मन्नू नि0ग्राम बनमऊ भैसौली फैजाबाद हरिहरपुर कायस्थान जिला फैजाबाद द्वारा वरासत दर्ज होने के बाद प्रार्थी के लडकी के स्थान पर दूसरी महिला द्वारा नीलम देवी बन कर राजस्व ग्राम कठैचा तह0सगडी जनपद आजमगढ़ की आराजी नं 214 ओर आराजी नं 215 की लेखक सुनील कुमार मिश्र व वसीकानवीस सगडी के द्वारा साजिसन कुट रचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर नीलम देवी के नाम की जमीन का बैनामा गवाहान बनकर करा लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 79/2024 धारा 419/420/467/468/471/120- B भादवि बनाम आदि 14 नफर पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री रवीन्द्र प्रताप यादव द्वारा संपादित की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**दिनांक 19/03/2024 को उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन गुप्ता पुत्र रतनलाल गुप्ता उम्र 26 वर्ष ग्राम जटावं थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम जटाव से समय 10.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-** -मु0अ0सं0 79/23 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भा0द0वि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-** किशन गुप्ता पुत्र रतनलाल गुप्ता उम्र 26 वर्ष ग्राम जटावं थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-** उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

**थाना बिलरियागंज**

**अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**गिरफ्तारी का विवरण:-**दिनांक- 19.03.2024 को उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सिक्स लेन अण्डर पास के पहले बाये भट्टा जाने वाले रास्ते पर के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने अपना नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन पुत्र स्व0 इस्तिखार निवासी ग्राम खानकाह थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। उपरोक्त व्यक्ति को अपराध का बोध कराते हुए धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत समय 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**मु0अ0सं0 84/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** मोहम्मद रियाजुद्दीन पुत्र स्व0 इस्तिखार निवासी ग्राम खानकाह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

**बरामदगी-**अवैध 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

**आपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0 92/15 धारा 3/5/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 तथा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

2.मु0अ0सं0 29/2019 धारा 307 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3.मु0अ0सं0 65/2021 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 149, 307, 419, 420, 467, 468 भा0द0वि0 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

4.मु0अ0सं0 18/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5.मु0अ0सं0 30/2019 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

6.मु0अ0सं0 28/2019 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

7.मु0अ0सं0 84/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## थाना गम्भीरपुर

### फरार अभियुक्त के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

आज दिनांक 4.03.2024 को थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मु.अ.स.279/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि.अधि.व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त छोटे पुत्र जुम्मन, फैसल पुत्र जुम्मन सा.गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मा.न्यायालय एसीजेएम कोर्ट नं.11 से निर्गत 82 सीआरपीसी की नोटिस का तामिला हेतु अभियुक्त छोटे पुत्र जुम्मन, फैसल पुत्र जुम्मन सा.गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के घर उ0नि0 अजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मय हमराह के दबिश दिया गया एवं डुगडुगी बजवाते हुए सहज स्थान पर 82 सीआरपीसी की नोटिस को चस्पा किया गया।

## थाना- मुबारकपुर

### गैर इरादतन हत्या के 05 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं जुर्माना

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 29.09.2000 को वादी मुकदमा राजेश चौहान पुत्र सुमेर चौहान निवासी नाराँव थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 391/2000 धारा 147/148/304/308/323/325/504 भादवि बनाम अभियुक्त 1. डा0 नन्दलाल गौड़ पुत्र दुःखी गौड़, 2. मोतीलाल पुत्र चन्द्रकेश, 3. रीतलाल पुत्र चन्द्रकेश, 4. उदयभान पुत्र चन्द्रकेश 5. चन्द्रकेश पुत्र मंगरू चौहान साकिनान नाराँव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ उपरोक्त मुकदमे में 06 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ आज दिनांक- 19.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 05, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. डा0 नन्दलाल गौड़ पुत्र दुःखी गौड़, 2. मोतीलाल पुत्र चन्द्रकेश, 3. रीतलाल पुत्र चन्द्रकेश, 4. उदयभान पुत्र चन्द्रकेश 5. चन्द्रकेश पुत्र मंगरू चौहान साकिनान नाराँव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

## थाना-बिलरियागंज

### हत्या के प्रयास के 02 आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 01-01 हजार रुपये का जुर्माना

आज दिनांक- 19.03.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं- 105ए/2014 धारा 307/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. लोचन पुत्र जमुना, 2. लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना देवी पत्नी देवीदीन निवासी बरोही फतेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

## थाना-बिलरियागंज

### धारा 324 भादवि में 02 आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माना

आज दिनांक- 19.03.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं- 105/2014 धारा 324/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. घरभरन राजभर पुत्र फूलचन्द्र राजभर 2. वीरेन्द्र राजभर पुत्र फूलचन्द्र राजभर, 3. संजय राजभर पुत्र फूलचन्द्र राजभर 4. जगवरन राजभर पुत्र फूलचन्द्र राजभर निवासीगण बरोही फतेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।